न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

:– 65/06 अन्तर्गत धारा 76 एल0 आर0 एक्ट

:– 1. लालचन्द पुत्र पलटू जाति जाटव (जटिया) निवासी तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

2. विजयसिंह पुत्र पलटू जाति जाटव (जटिया) निवासी तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर । (मृतक)

2/1. शीला पत्नि विजयसिंह जाति जाटव (जटिया) निवासी तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर

2/2. मेहरचन्द पुत्र विजयसिंह जाति जाटव (जटिया) निवासी तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर

2/3. शेरसिंह पुत्र विजयसिंह जाति जाटव (जटिया) निवासी तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर

2/4. जगन पुत्र विजयसिंह जाति जाटव (जटिया) निवासी तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर

2/5. कृष्णा पुत्री विजयसिंह जाति जाटव (जटिया) निवासी तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

वारिस काबिज जायदाद विजयसिंह पुत्र पल्टू जाति जाटव निवासी तिजारा तह0 तिजारा जिला अलवर

3. पूर्ण पुत्र पल्टू जाति जाटव (जटिया) निवासी तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान ।

4. देवकीनन्दन पुत्र पल्टू जाति जाटव (जटिया) निवासी तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर ।

5. रामकौर बेवा पल्टू जाति जाटव (जटिया) निवासी तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर ।

6. अशरफी पुत्री पल्टू जाति जाटव (जटिया) निवासी तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर

7. द्रोपदी पुत्री पल्टू जाति जाटव (जटिया) निवासी तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर ।

8. बिरमा पुत्री पल्टू जाति जाटव (जटिया) निवासी तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर ।

:—— अपीलांटान

बनाम

1. नन्दन पुत्र दौला जाति जटिया निवासी तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

2. तिरखा पुत्र दौला जाति जटिया निवासी तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

:—— रेस्पो0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अपील विरूद्ध निर्णय कलेक्टर कम सैटिलमैंट कमिश्नर,

अलवर दिनांक 5.9.2006

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांट :— श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता

2. वकील रेस्पो0 :— उपस्थित नहीं ।

निर्णय दिनांक 15.2.2017

---

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय कलेक्टर कम सैटिलमैंट कमिश्नर, अलवर द्वारा अपील संख्या 43/2002 उनवान लालचन्द वगैरा बनाम नन्दन वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 5.9.2006 के खिलाफ है, जिसके द्वारा अपीलांट की प्रथम अपील खारिज की गई है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1066 साबिक रकबा 14 बीघा 06 बिस्वा वाके ग्राम तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर की सनद तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, तिजारा ने दिनांक 24.11.82 को दौला पुत्र मानसिंह एवं बेगराज पुत्र दौला के नाम से पटटा जारी करने का आदेश दिया था । तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, तिजारा के उक्त आदेश दिनांक 24.11.82 के खिलाफ लालचन्द वगैरा ने कलेक्टर कम सैटिलमैंट कमिश्नर, अलवर के यहां प्रथम अपील पेश की, जो निर्णय दिनांक 5.9.2006 द्वारा खारिज की गई है । कलेक्टर कम सैटिलमैंट कमिश्नर, अलवर के उक्त आदेश दिनांक 5.9.2006 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील पेश की है ।

3. विद्वान वकील अपीलांट का बहस में कथन है कि विवादित आराजी का पटटेदार गैर खातेदार दौला पुत्र मानसिंह था, जिसका देहान्त होने पर आराजी का विरासत इन्तकाल संख्या 267 दिनांक 8.10.77 को उनके वारिसान के नाम दर्ज हुआ, जिसके अनुसार अपीलांट के पिता पल्टू को 1/8 भाग प्राप्त हुआ । पल्टू के देहान्त के बाद उक्त आराजी पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अपीलांट काश्त कर रहे हैं एवं रेस्पो0 का भी 1/8 भाग है । परन्तु रेस्पो0 ने तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, तिजारा से साजबाज होकर दिनांक 24.11.82 को अपने पक्ष में पटटा जारी करवा लिया । हमारे पिता पल्टू ने रेस्पो0 एवं अन्यों के खिलाफ एक दावा तकसीम का तिजारा में पेश किया था । उस दौराने रेस्पो0 ने बाला बाला आराजी विवादित का सनद पटटा प्राप्त कर लिया । उक्त दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि पटटे की अपील नहीं की गई है । उक्त दावा में पारित निर्णय व डिक्री के खिलाफ हमने दिनांक 18.10.02 को राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के यहां अपील दायर की । पटटे की जानकारी होने पर उसकी भी अपील पेश की थी, जो कलेक्टर कम सैटिलमैंट कमिश्नर, अलवर द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा गलत तौर पर खारिज कर दी गई । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4. रेस्पो0 उपस्थित नहीं ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । विवादित भूमि का पटटा जारी करने से पूर्व तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, तिजारा द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई थी । पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि सम्वत 2012 में दौला पुत्र मानसिंह व बेगराज पुत्र दौला जाटव साकिन तिजारा के नाम आराजी का आवंटन हुआ था । मौके पर इस समय नन्दन व तिरखा काबिज है । कीमत भूमि की नन्दन व तिरखा ने ही अदा की है । तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, तिजारा के यहां बेगराज व नोन्दा पुत्रान दौला ने एक हल्फनामा इस आशय का पेश किया था कि आराजी हमारे पिता दौला को पटटे पर मिली थी । आराजी हमारे पिता की खुद काश्त की थी । उनके देहान्त के बाद हमारे भाई नन्दकिशोर पुत्र दौला व तिरखा पुत्र दौला काश्त करते हैं । हमारा इस आराजी पर कोई कब्जा नहीं है । ना ही आराजी से किसी प्रकार का कोई वास्ता है । उक्त आराजी का पटटा हमारे भाई नन्दकिशोर व तिरखा पुत्रान दौला के नाम जारी कर दिया जावे तो हमको कोई ऐतराज नहीं है । इसी प्रकार मु0 शम्मी बेवा भौरेलाल, पदमचन्द व छोटेलाल पुत्रान भौरेलाल, भानो पुत्री भौरेलाल, पार्वती व सीमा पुत्री भौरेलाल ने भी हल्फनामा इस आशय का पेश किया है कि आराजी पटटे पर दौला को मिली थी । वही कब्जा काश्त करता था । उनके देहान्त के बाद उनके वारिसान नन्दकिशोर व तिरखा काबिज काश्तकार है । इस आराजी को हमने कभी काश्त नहीं किया और ना ही हमारा इस आराजी से कोई वास्ता है । रेस्पो0 नन्दकिशोर व तिरखा पुत्रान दौला ने हल्फनामा पेश किया है कि आराजी हमारे पिता दौला को पटटे पर दी गई थी । वे अपने जीवनकाल में काबिज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

काश्तकार थे । उनके देहान्त के बाद हम काबिज है । खसरा गिरदावरी सम्वत 2013 में रेस्पो0 नन्दन व तिरखा पुत्रान दौला की काश्त दर्ज है ।

6. पत्रावली का सम्पूर्ण रूप से अवलोकन करने पर सिद्ध होता है कि विवादित भूमि पर रेस्पो0 का कब्जा काश्त था । उनके पक्ष में सनद जारी करने से पूर्व पटवारी हल्का से कब्जे काश्त की रिपोर्ट ली गई थी, जिसमें रेस्पो0 का कब्जा काश्त बताया गया है । खसरा गिरदावरी व पटवारी रिपोर्ट से रेस्पो0 की कब्जा काश्त सिद्ध होती है । दौला के स्वयं अन्य वारिसान ने भी तहसीलदार के यहां इस आशय का हलफनामा दिया है कि आराजी पर उनके भाईयों नन्दकिशोर व तिरखा का ही कब्जा है, उनका कोई कब्जा काश्त नहीं है, अगर आराजी की सनद उनके भाई नन्दकिशोर व तिरखा के नाम जारी कर दिया जावे तो उनको कोई आपत्ति नहीं है । रेस्पो0 की कब्जा काश्त होने के कारण ही तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, तिजारा द्वारा रेस्पो0 के पक्ष में कीमत जमा कराकर सनद जारी की गई है, जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर हर दोनों तहत न्यायालयों कलेक्टर कम सैटिलमैंट कमिश्नर, अलवर का आदेश दिनांक 5.9.2006 तथा तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर, तिजारा का आदेश दिनांक 24.11.82 यथावत रखे जाते हैं ।

8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । तहत पत्रावलियां लौटाई जावे । [illegible]ल शुमार होस ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner